

उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद शहर में बाल श्रम आबादी का सामाजिक-आर्थिक और संरचनात्मक विश्लेषण का एक अध्ययन

सुदेश रानी¹,

प्रोफ. (डॉ.) आर. के. एस. अरोडा²

¹शोधार्थिनी, शिक्षा विभाग, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत

²शोध निर्देशक, शिक्षा विभाग, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER /ARTICLE, HERE BY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT/OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE/UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION. FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE)

सारांश –

इसके विविध आयामों में बाल श्रम सभ्यता की शुरुआत से ही जनसंख्या वृद्धि और खाद्य असुरक्षा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, हालांकि यह समय-समय पर जिला तत्व प्राप्त कर रहा है, तकनीकी प्रगति के बावजूद इसका महत्व कभी नहीं खोया। यही कारण है कि कई पहलुओं के साथ इस समस्या को लेने के लिए विभिन्न शोधकर्ताओं ने आकर्षित किया है। दृष्टिकोण बाल श्रम के पीछे की समस्याओं और कारणों को समझाते हैं, बाल श्रम की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बीच उनके संबंधों को दर्शाते हैं। इसलिए सभी माता-पिता प्रतिकूल घर के माहौल के कारण अपने स्कूल के बच्चों के लिए अप्रत्यक्ष लागत का भुगतान नहीं कर सकते हैं और अक्सर बुनियादी जरूरतों यानी आश्रय, भोजन, चिकित्सा आदि की कमी होती है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे परिवार अपने बच्चों को बाल श्रम के रूप में धकेलते हैं। बाल श्रम शिक्षा के लिए बाधाओं के साथ-साथ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में से एक है। इसलिए, बाल श्रम, उनके प्रकार, समस्याओं, उनकी संख्या और उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना अनिवार्य है। अध्ययन उनकी दुर्दशा को उजागर करेगा और उनकी स्थिति में सुधार करने की संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश करेगा। अन्यथा, उनकी आने वाली पीढ़ी में भी एक दुष्चक्र जारी रहेगा, जो न केवल गाजियाबाद के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक है। सरकार को इस अभिशाप को मिटाने / कम करने के लिए जमीनी स्तर पर इस समस्या से निपटना चाहिए, केवल कानून को बनाए रखने से मदद नहीं मिलेगी क्योंकि यह वर्तमान में निहित और अत्यधिक गरीबी में लागू नहीं है।

मुख्य शब्द – बाल श्रम, बाल मजदूर, काम करने की स्थिति, काम करने का माहौल

परिचय

अपने देश के समक्ष बालश्रम की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम भी उठाये हैं। समस्या के विस्तार और गंभीरता को देखते हुए यह एक सामाजिक-आर्थिक समस्या मानी

जा रही है जो चेतना की कमी, गरीबी और निरक्षरता से जुड़ी हुई है। इस समस्या के समाधान हेतु समाज के सभी वर्गों द्वारा सामूहिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 1979 में भारत सरकार ने बाल-मजदूरी की समस्या और उससे निजात दिलाने हेतु उपाय सुझाने के लिए श्गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया था। समिति ने समस्या का विस्तार से अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। उन्होंने देखा कि जब तक गरीबी बनी रहेगी तब तक बाल-मजदूरी को हटाना संभव नहीं होगा। इसलिए कानूनन इस मुद्दे को प्रतिबंधित करना व्यावहारिक रूप से समाधान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में समिति ने सुझाव दिया कि खतरनाक क्षेत्रों में बाल-मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा अन्य क्षेत्रों में कार्य के स्तर में सुधार लाया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि कार्यरत बच्चों की समस्याओं को निपटाने के लिए बहुआयामी नीति बनाये जाने की जरूरत है।

सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के बाद गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, बड़े परिवार के आकार, परिवार के टूटने और सभी सरकारी नीतियों के ऊपर आमतौर पर बच्चों के बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए सबसे प्रमुख कारक माना जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक जाने-माने वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, हम सभी को देश के सभी साक्षर, बुद्धिजीवियों, उद्यमियों और संपन्न नागरिकों पर गर्व महसूस करना चाहिए, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह के व्यक्तियों की श्रेणियां लगभग धिरी हुई हैं। बड़ी संख्या में ऐसे सभी लोग जो गरीब, अनपढ़ और कुपोषण से ग्रस्त हैं। वे दिन-रात की मेहनत से हमारा जीवन आरामदायक और रहने लायक बनाते हैं और उनकी उपेक्षा करना खतरनाक हो सकता है। बाल श्रम शोषण की समस्या विकासशील देशों की प्रगति के लिए एक बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से एशिया में जहां 61 प्रतिशत आबादी रहती है, क्योंकि देशों का भविष्य उनके कंधे पर टिका है।

अध्ययन उद्देश्य

गाजियाबाद शहर में बाल श्रम घरों (उनके स्थान, जनसंख्या और घरों की संख्या) की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और बाल श्रम परिवारों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि (धर्म और जाति, आयु, शैक्षिक स्थिति, परिवार के प्रकार / आकार, प्रवासी स्थिति) का आकलन करना।

अध्ययन की परिकल्पना

गाजियाबाद शहर में जनसंख्या वृद्धि और गरीबी का परिमाण जितना अधिक होगा, खाद्य असुरक्षा की डिग्री उतनी ही अधिक होगी और इसके परिणामस्वरूप बाल श्रम होगा।

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

1920 के दशक की शुरुआत में अर्नोल्ड गोसेल (1925) ने छोटे बच्चों की सीखने की आदतों का अध्ययन करना शुरू किया और सुझाव दिया कि बचपन की शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है जितनी कि बाद में। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क व्यावहारिक रूप से छह साल की उम्र से पहले अपने परिपक्व आयु तक पहुंच जाता है और विकास की किसी भी अन्य अवधि की तुलना में प्रारंभिक पूर्वस्कूली अवधि के दौरान मन, चरित्र और आत्मा अधिक तेजी से आगे बढ़ते हैं। प्री-स्कूल के बच्चों के बीच खेल में सामाजिक विकास का अध्ययन पार्टन (1933) द्वारा किया गया था, वह दो से पांच साल की उम्र के बच्चों को एक खेल के मैदान में ले गई और उन्हें अकेले या दूसरों के साथ खेलने की अनुमति दी।

इनहेल्डर और पियागेट (1964) ने छोटे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में उनकी उत्पत्ति और संरचनाओं के संदर्भ में जांच की। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया है। संवेदी मोटर ऑपरेटर (पहले 18 महीने); ठोस सोच संचालन (18 महीने से 11 या 12 वर्ष) और औपचारिक सोच संचालन का चरण (11 या 12 वर्ष से 14 या 15 वर्ष तक)। पियागेट और उनके सहकर्मियों के अध्ययन ने प्रारंभिक वर्षों में बच्चे की गतिविधि और अनुभव के महत्व पर जोर दिया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया सबसे प्रसिद्ध गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेड स्टार्ट प्रोजेक्ट (1969) था जिसे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार और उनके भावनात्मक और सामाजिक विकास में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

निष्कर्ष, खोज, सुझाव और सिफारिशें

उपसंहार और खोज

भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति, कम प्रति व्यक्ति आय, गरीबी और खाद्य असुरक्षा के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। अंततः, इसने बाल श्रम को बढ़ावा दिया, विशेषकर दलित समाजोपेक्षित परिवारों में। बाल श्रम 21वीं सदी की शुरुआत में विकासशील दुनिया के सामने आने वाली सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं में से एक है। गरीबी, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, पारिवारिक विघटन, रोटी कमाने वाले की हानि, खराब स्वास्थ्य और लैंगिक असमानताएं व्यापक आधार वाली सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की आवश्यकता को उजागर करती हैं जो बाल श्रम से निकटता से जुड़ी हुई हैं। गाजियाबाद शहर में बच्चे हर तरह की गतिविधियों में लगे हुए हैं, घरेलू काम से लेकर ताला निर्माण तक, निर्माण से लेकर दुकानों और सड़कों पर बेचने तक, मरम्मत से लेकर कचरा इकट्ठा करने और कूड़ा बीनने तक, इसके अलावा भोजन तैयार करना, बर्तन धोना और होटलों में परोसना सड़क किनारे भोजनालयों (ढाबों) पर सहायक के रूप में, विक्रेताओं से लेकर रिक्शा चलाने आदि तक। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ज्यादातर मामलों में वे गरीबी और माता-पिता के गैर-जिम्मेदाराना रवैये के कारण श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए मजबूर होते हैं। माता-पिता की शो चलाने के लिए अतिरिक्त पारिवारिक आय की इच्छा, साथ ही उनकी शिक्षा और शैक्षिक सुविधाओं के प्रति सरकार की उदासीनता और अनुचित योजना भी कुछ मामलों में बाल श्रम के लिए जिम्मेदार है। परिवारों की खराब स्थिति उनकी अल्प आय, उनके रहने वाले घरों के प्रकार, उनके जीवन स्तर और घरेलू वातावरण में परिलक्षित होती है।

वर्तमान अध्ययन के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि गाजियाबाद शहर में अधिकांश उत्तरदाता मुस्लिम समुदाय (62.06 प्रतिशत) से हैं। जाति के लिहाज से वे बड़े पैमाने पर अन्य पिछड़े वर्गों (55.07 प्रतिशत) से आते हैं। सभी व्यवसायों में बाल श्रमिक परिवारों की शैक्षणिक स्थिति बहुत कम है। लेकिन यह आर्थिक श्रेणियों में भिन्न होता है जिसमें घरेलू कामगारों की साक्षरता दर सबसे कम है और दुकानदारों की साक्षरता दर सबसे अधिक (49.82 प्रतिशत) है। लगभग एक चौथाई परिवार प्रवासी हैं, उनमें से अधिकांश जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं और 15 वर्षों से अधिक समय से यहां रह रहे हैं और अन्य बाहर से आए हैं और अपेक्षाकृत नए हैं। बाल श्रमिकों के परिवार का जीवन स्तर बहुत निम्न है, जिसका कारण उनकी कम आय, अशिक्षा और बड़े परिवार का आकार है, सभी श्रेणियों में परिवारों का आकार राष्ट्रीय औसत से बड़ा है। औसत परिवार का आकार 6.68 था, जिसमें कचरा बीनने वालों का परिवार आकार सबसे बड़ा (7.05) था और घरेलू कामगारों का परिवार आकार सबसे छोटा (5.78) था। बाल श्रमिक परिवारों में लिंगानुपात 884 है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। श्रेणी के अनुसार घरेलू कामगारों का लिंग अनुपात सबसे अधिक 1217 महिला प्रति हजार पुरुष है क्योंकि इस श्रेणी में महिलाओं का वर्चस्व है और कचरा बीनने वालों का लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुष 922 है। अध्ययन में पाया गया कि 60 प्रतिशत घरों में दो कामकाजी सदस्य हैं और लगभग 34 प्रतिशत घरों में दो से अधिक कमाने वाले सदस्य हैं।

सुझाव और सिफारिशें

बाल श्रम को नियंत्रित करने के लिए, एक व्यापक नीति पैकेज पेश किया जाना चाहिए जो एक साथ वयस्क घरेलू सदस्यों के लिए रोजगार और कमाई के अवसर बढ़ा सके, और सामान्य रूप से ग्रामीण से शहरी आबादी के स्थानांतरण को हतोत्साहित करने के लिए ग्रामीण आधारित उद्योग और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित कर सके। विशेषकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। स्कूलों में मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ताकि बच्चे स्कूल जाने के लिए आकर्षित हों। शिक्षक को बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए ताकि वे शिक्षक की सजा के डर से स्कूल न छोड़ें। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार को इस मुद्दे पर कुछ उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए। बाल श्रम की समस्याएँ समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना में अंतर्निहित हैं। सरकार को नीतिगत सुधारों और देशों के भीतर, समस्या से सीधे संबंधित लोगों – बच्चों, माता-पिता, नियोक्ताओं और अन्य – और समग्र रूप से समाज में दृष्टिकोण में बदलाव की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। समस्या के समाधान के लिए योजना व्यावहारिक होनी चाहिए, जैसे आर्थिक मदद, सामाजिक मान्यता और मानवीय मदद।

सन्दर्भ

- एलिजाबेथ बी. हरलॉक।, बाल विकास और विकास। पांचवां एड. नई दिल्ली: टाटा मी – ग्रा हिल पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड, 1978। पृष्ठ, 144।
- कार्टर। वी. गुड, डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, न्यूयॉर्क मैकग्रा-हिल बुक कं, इंक. 1945, पृष्ठ 28।
- रूथ स्ट्रैंग, 'एन इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड स्टडी', न्यूयॉर्क: द मैकमिलन कंपनी लिमिटेड, १९५४ पृष्ठ.१४६।
- राल्फ मैककॉ, 'बाल मनोविज्ञान का कॉलेज स्तर।' न्यूयॉर्क: मोनार्क प्रेस, इंक., 1965 .पी 73
- वाल्श, एम.ई. 'कुछ व्यक्तित्व लक्षणों के विकास के लिए नर्सरी स्कूल प्रशिक्षण का संबंध'। बाल विकास; १९३१, १२, पीपी.७२-७३.
- हैटविक, बी.डब्ल्यू., 'नर्सरी स्कूल में उपस्थिति का प्रभाव स्कूल पूर्व मिर्च के व्यवहार और व्यक्तित्व पर। जे विशेषज्ञ। शिक्षा. 1936, पीपी. 180 – 190
- मिल्ड्रेड। बी। पार्टन।, 'पूर्व-विद्यालय के बच्चों के बीच सामाजिक खेल।' असामान्य और सामाजिक मनोविज्ञान का जर्नल। 1933। वॉल्यूम। 28. पीपी 136 – 147।
- जोन टफ।, द डेवलपमेंट ऑफ मीनिंग: ए स्टडी ऑफ चिल्ड्रन यूज ऑफ लैंग्वेज। एलन एंड अनविन, 1977।
- बेंजामिन। एस ब्लूम। 'मानव विशेषताओं में स्थिरता और परिवर्तन।' न्यूयॉर्क: जॉन विले एंड संस। इंक।, 1964।

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, hereby, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website/amendments/updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me is not correct, I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and hentriacontane is genuinely mine. If any issue arises related to Plagiarism/ Guide Name/ Educational Qualification / Designation/ Address of my university/ college /institution/ Structure or Formatting/ Resubmission/Submission/Copyright/Patent/Submission for any higher degree or Job/Primary Data/Secondary Data Issues. I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the database due to some technical fault or

hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents(Aadhar/Driving License/Any Identity Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper may be rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that As the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds Any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper maybe removed from the website or the watermark of remark/actuality maybe mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me

सुदेश रानी
प्रोफ. (डॉ.) आर. के. एस अरोडा
